

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला  
47 / 2018 / प्रार्थना पत्र 15.03.2018 13.04.2018

उनवान

- 1- घीसालाल पिता रामकिशन जाट निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
- 2- रामप्रसाद पिता रामकिशन जाट निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
- 3- घीसीदेवी पिता रामकिशन जाट निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां  
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- महावीर पिता लादू जाट (सरुड़िया) नि० फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
- 2- सुखलाल पिता लादू जाट (सरुड़िया)नि० फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
- 3- बरदीचन्द पिता बन्ना जाट (गोदारा) नि० फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
- 4- सुखदेव पिता बन्ना जाट (गोदारा) नि० फूलियाकलां तह० फूलियाकलां  
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट  
उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण के खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 336 आ०न० 4455 रकबा 0.66 है०, आराजी कुल किता 01 रकबा 0.66 है० भूमि स्थित है। पैरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.03.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1




लगायत 4 के विरुद्ध दिनांक 13.04.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 336 आ0न0 4455 रकबा 0.66 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 0.66 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 336 आ0न0 4455 रकबा 0.66 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 0.66 है0 के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/- ( अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13.04.2018 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भंवरलाल कांसोटिया)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

**उपखण्ड अधिकारी एवं**


**सहायक कलेक्टर**

**फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा**



प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुत्ता  
आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर प  
रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा),  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा